न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–560 सन् 2026

C.N.R.No.UPSN01–001757–2026

तौहीद अली बालिग पुत्र आरिफ अली, निवासी पूरेगुलाब थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही..... .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–95 सन् 2026
धारा–305(A)एवं 331(4) बी.एन.एस.
थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त तौहीद अली की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 95 सन् 2026 , धारा– 305(A) एवं 331(4) बी.एन.एस. थाना–गोपीगंज, जिला भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी प्रेमचन्द उमर वैश्य ने थानाध्यक्ष कोतवाली गोपीगंज को संबोधित तहरीर प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि वह ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, थाना गोपीगंज जिला भदोही का निवासी है। प्रार्थी, ज्ञानपुर रोड पर प्रदीप भवन में किराये की दुकान लेकर पान–सोपाड़ी व पान–मसाला का होल–सेल व फुटकर विक्रेता है। प्रतिदिन की भांति रात्रि को दुकान बंद करके घर चला गया । रात्रि को दिनांक–01.03.2026 को छत तोड़कर छत के रास्ते दुकान में पहुंचकर गल्ले में रखे नकद 40,000/–रूपये व पान मसाला, सिगरेट आदि चोर उठा ले गये। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 02.03.2026 को समय 23.40 बजे अज्ञात में धारा 305(A) एवं 331(4) बी.एन.एस. के अधीन मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियोजन कथानक यह भी है कि दिनांक 14.03.2026 को उ०नि० कुलदीप कुमार मिश्रा मुखबिर की सूचना के आधार पर रामलीला मैदान गोपीगंज पहुंचकर हिकमत अमली से एकबारगी घेर कर वहां बैठे एक व्यक्ति को पकड़ा गया नाम–पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम सलमान पुत्र समीर निवासी पूरेगुलाब थाना गोपीगंज बताया। जामा तलाशी के दौरान पहने हुए जींस पैन्ट के दाहिने जेब से 4800/–रूपये बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह अपने मित्र तौहिद के साथ दिनांक–01.03.2026 को प्रदीप भवन में स्थित प्रेमचन्द के पान–मसाला की दुकान की छत की पटिया हटाकर चोरी किया था। उक्त बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आधार अग्रिम जमानत व तर्क में कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त सलमान के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। सहअभियुक्त सलमान के कब्जे से कथित चोरी के सामान एवं रूपयों की बरामदगी होना कहा जाता है, उसकी नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त वादी मुकदमा के दुकान में घुसकर चोरी नही किया है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त तथाकथित दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्त के साथ चोरी की घटना में संलिप्त रहा है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा सहअभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 40,000/–रूपये में से 4800/– रूपये की बरामदगी हुई है। सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध का आरोप है कि दिनांक–01.03.2026 की रात्रि किसी समय अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर ज्ञानपुर रोड कस्बा गोपीगंज में स्थित प्रदीप भवन में वादी मुकदमा की पान–सोपाड़ी व पान–मसाला की दुकान से 40,000/–रूपये पान,मसाला व सिगरेट चोरी करने में संलिप्त रहा है और दिनांक 14.03.2026 को सहअभियुक्त के पकड़े जाने पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है।

7. पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में व एक दिन विलंब से कराया जाना दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम गिरफ्तार सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकाश में आना दर्शित है। सहअभियुक्त जिसके पास से चोरी के रूपयों की बरामदगी होना कहा जाता है, उसकी नियमित

जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नही है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त तौहीद अली द्वारा मु0 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित विवेचनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसे आरोपपत्र दाखिल होने तक अग्रिम–जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1. यहकि आवेदक किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगा।
2. यहकि आवेदक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
3. यह कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. यह कि आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा।

दिनांक–15.06.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code NO.–UP 5725

आदेश की प्रति विवेचक को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक–15.06.2026

सत्र न्यायाधीश
भदोही।

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.06.15 13:56:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court